निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 103/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण **के माह** 11/2014 **से** 10/2016 **तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** राकेश रजंन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री जतिन राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.11.2016 से 02.12.2016 **तक में श्री** बी.डी. सिंह, वरिष्ठ **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

भाग-I

1ण **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री** विनीत राही, लेखापरीक्षक तथा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2014 से 28.11.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी था। जिसमें माह 05/2011 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्न छः विकास खण्ड आते हैं :

(1) भिकियासैंण (2) सल्ट) (3) स्याल्दे (4) ताड़ीखेत (5) चौखुटिया (6) द्वाराहाट

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	(+) `	(-) `
2014-15	-	-	-	-	142.36	120.65	-	21.71
2015-16	-	-	-	-	151.73	149.68	-	2.05
2016-17 (10/2016)	-	-	-	-	164.82	106.68	-	58.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

————————शून्य————————

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** अधिष्ठान मद में उत्तराखण्ड शासन से तथा निक्षेप निर्माण कार्यों के लिए सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होता है।

विभाग **का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-**

प्रमुख सचिव/सचिव

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

मुख्य अभिन्ता (स्तर–2)

अधीक्षण अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अपर सहायक अभियन्ता

(v) लेखापरीक्षा के क्रियाकलाप एवं लेखापरीक्षा विधि :

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु स्वयं कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते। अधिष्ठान संबंधी प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यों का सम्पादन कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों/शासनादेशों तहत उपलब्ध बजट प्राविधानों के अधीन किया जाता है। निर्माण कार्यो का सम्पादन शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों एवं कार्यो के सम्पादन में प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है।

1– **<u>अधिष्ठान संबंधी कार्य :–</u>** अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित वेतन समिति की संस्तुतियों एवं वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अधीन रहते हुए वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अवकाश यात्रा सुविधा, संतोषजनक सेवा के आधार पर ए0सी0पी0 की सुविधा, चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालकों को नियमानुसार ग्रीष्म कालीन तथा शीत कालीन वर्दी अनुमन्य की जाती है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने, अनुशासनहीनता दिखाने, शासकीय धन का दुरूपयोग करने आदि नियम विरूद्ध कृत्यों की जॉचोपरान्त पुष्टि हो जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

2– **<u>विभागीय कार्यक्रम :–</u>** शासन/जिला स्तर से ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण को नामित कार्यदायी संस्था के कार्य प्रखण्ड द्वारा शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाते है। निर्माण कार्यो का सम्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं दर विश्लेषण के आधार मानते हुए कराये जाते हैं। निर्माणाधीन कार्यो पर गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समय–समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों/प्राविधिक प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निर्माण

कार्यो का भुगतान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा प्रखण्ड में तैनात लेखाधिकारी से परामर्श के उपरान्त किया जाता है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन : व्यय हेतु माह मार्च 2016 एवं अक्टूबर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार, राजस्व हेतु माह मई 2015 एवं फरवरी 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

योजना का चयन : लेखापरीक्षा में 03 निर्माण कार्यो का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन उक्त योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम स्वीकृति एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) **लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : कार्यों को समय से प्रारम्भ न करने के कारण निधियों का अवरोधन ` 71.05 लाख।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा अन्य विभागों के अनेक प्रकार के निर्माण कार्य Deposit Work के रूप में किये जाते हैं, जिसके तहत इस विभाग को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से वर्ष 2014–15 में अनेक प्रकार के कार्य आवंटित किये गये, जिनमें से निम्न कार्य विभाग द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये :

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	शासनादेश संख्या/दिनांक	प्राक्कलित राशि (लाख में)	धन प्राप्ति का दिनांक	वास्तविक प्राप्ति (लाख में)	टिप्पणी
1	पूनाकोट में खेल मैदान का निर्माण।	277/23.09.14	1.00	09/14	1.00	विवादित
2	ब्लाडाभर में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	भूमि का न मिलना
3	ऐरोड़ (ताड़ीखेत) में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	विवादित
4	खग्याड़ में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	भूमि का न मिलना
5	जमाकर (द्वाराहाट) में खेल मैदान का निर्माण।	277/23.09.14	1.00	09/14	1.00	भूमि का न मिलना
6	भसौना (द्वाराहाट) में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	विवादित
7	रतखाल (द्वाराहाट) में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	विवादित
8	इनोली (भिकियासैंण) में खेल मैदान का निर्माण।	365/10.11.14	1.00	11/14	1.00	भूमि का न मिलना
9	तुराचौरा मोटर रोड़ स्याल्दे।	127/XII-2/2015/83(09)/14 दि0 28.08.15	152.45	12/15	35.00	परियोजना बन्द कर दी गयी
10	रानीखेत पन्तकोटुली मोटर रोड़ का निर्माण।	146/XII-2/2015/83(04)/14 दि0 16.12.15	181.39	12/15	28.00	भूमि का न मिलना
				कुल प्राप्ति	**71.05**	

उपरोक्त से विदित है कि इस खण्ड को सितम्बर 2014 से दिसम्बर 2015 तक ग्यारह कार्यों के मद में 80.05 लाख रूपये प्राप्त हुए। परन्तु कार्यों की मद में निधियों के उपलब्ध होने पर भी खण्ड द्वारा विभिन्न कारणों से इन कार्यों को (नवम्बर 2016) तक प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। अतः विभाग को इन निधियों को सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना चाहिए था, क्योंकि विभाग वर्तमान में उपरोक्त कार्यों को प्रारम्भ नहीं कर पा रहा था। अतः यह निधियॉ किसी उद्देश्य पूर्ण कार्य में व्यय न हो कर विभाग के पास अवरूद्ध पड़ी हुई है, जिसमें ` 71.05 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

उत्तर में विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जायेगा।

अतः कार्यो को समय से प्रारम्भ न करने के कारण निधियों का अवरोधन ` 71.05 लाख संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 39.55 लाख व्यय करने के बाद भी उद्देश्यों की पूर्ति ना होना।

रानीखेत में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में कक्षा भवन के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में ` 39.55 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रारम्भ में प्राक्कलन के अनुसार यह भवन दो मंजिला, प्रत्येक मंजिल में 3 कक्ष बनने थे तथा इसके साथ–साथ शौचालय, विद्युतीकरण, भवन तक पहुॅच मार्ग तथा Rainwater harvesting system आदि का निर्माण किया जाना था। उस समय अल्मोड़ा खण्ड द्वारा यह कार्य मैसर्स सी0एस0 कन्सट्रक्शन, रानीखेत को आवंटित कर दिया गया था, इस कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि 30.10.2008 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 29.10.2009 निर्धारित की गयी थी।

प्रारम्भ में इस कार्य की मद में विभाग को ` 13.55 लाख की प्रथम किस्त मार्च 2008 में प्राप्त हुई थी। ठेकेदार से कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् भवन निर्माण में बॉधा आने लगी, क्योंकि भवन निर्माण करते समय ऊपर की ओर से पत्थर तथा मिट्टी खिसक कर नये भवन के स्ट्रक्चर पर गिरने लगे, जिससे कार्य रोका गया जिस कारण अधीक्षण अभियन्ता नैनीताल द्वारा इस कार्य का मई 2009 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा खण्ड को निर्देश दिये कि वर्तमान में इस जगह पर भवन का निर्माण कार्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहॉ पर चट्टाने खिसक कर भवन पर गिर सकती है, इसलिए इस भवन की सुरक्षा के लिए पहले सुरक्षा दीवार बनायी जाय।

अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशानुसार खण्ड भिकियासैंण द्वारा भवन निर्माण के लिए एक पुनरीक्षित प्राक्कलन ` 45.54 लाख तथा सुरक्षा दीवार के लिए ` 13.54 लाख का प्राक्कलन जिलाधिकारी अल्मोड़ा को जिला योजना से उक्त धन की मांग करते हुए नवम्बर 2011 में प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी स्तर पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया था। अगस्त 2011 तक विभाग को द्वितीय किस्त ` 25 लाख भी प्राप्त हो गये थे। इसलिए विभाग ने इस कार्य को पुराने प्राक्कलन के अनुसार जारी रखा। इसी बीच कई बार यह कार्य चट्टान खिसकने के बाद बन्द भी करना पड़ा। जब पुराने प्राक्कलन के अनुसार समस्त धनराशि व्यय हो गयी तो ठेकेदार द्वारा यह कार्य मार्च 2013 में अधूरा छोड़ दिया गया, जिसमें केवल भवन का आधा भाग (पहली मंजिल) ही बन पाया था।

मार्च 2014 को इस भवन का संयुक्त निरीक्षण शिक्षा विभाग तथा इस खण्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की कमियों के साथ–साथ निर्माण कार्य आधा पाया गया, जिसमें कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल किये गये तथा स्थल चयन को भी त्रुटिपूर्ण बताया गया, जिससे भवन की बुनियाद खोदते वक्त चट्टान कटान से बाद में चट्टान नीचे खिसक आयी थी तथा यह भी कहा गया कि बिना प्रोटेक्शन वाल के इस भवन का उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से इस भवन का हस्तान्तरण प्रधानाचार्या बालिका इण्टर कालेज द्वारा मना कर दिया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि :

1) कार्य पूर्व प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया।

2) कार्य की पूर्ण लागत पर आधा कार्य किया गया है।

3) संयुक्त निरीक्षण में इस भवन को प्रयोग होने लायक नहीं बताया गया है, क्योंकि सुरक्षा दीवार न होने के कारण इस भवन का उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त भवन पर विभाग द्वारा किया गया कुल व्यय ` 39.55 लाख व्यय करने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

उत्तर में विभाग द्वारा अपने मत को सही बताते हुए कहा गया कि सुरक्षा दीवार बना दी गयी है और जो भवन बना है वह प्रयोग में लाया जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ` 39.55 लाख व्यय करने के बावजूद उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II "ब"

प्रस्तर 3 : पूर्ण निक्षेप कार्यों की अवषेष धनराषि ` 90.12 लाख ग्राहक विभाग को वापस नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–VI) के प्रस्तर 624 में निर्दिष्ट है कि पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों की अव्ययित धनराषियों को सम्बन्धित विभागों को जमा में कमी दर्षाते हुए वापस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–VI) के प्रस्तर 514 में भी यह निर्दिष्ट है कि निक्षेप कार्य पूर्ण होने/हस्तगत कराये जाने के बाद निक्षेप कार्य के खाते यथाषीघ्र बन्द किए जाने चाहिए।

अधिषासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण के निक्षेप कार्यों से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विगत लेखापरीक्षा से अघतन **16** विभागों के द्वारा निक्षेप के रुप में अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण किए गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष अव्ययित अवषेष धनराषि ` **90.12 लाख** न तो सम्बन्धित विभागों को वापस की गयी एवं न ही हस्तगत किए जाने के बाद भी वित्तीय प्रावधानों के अनुरुप उनके खाते बन्द किए गए। अक्टूबर 2016 तक विभागवार पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों के सापेक्ष अव्ययित अवषेष धनराषि का विवरण निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	ग्राहक विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की अवशेष धनराशि
1	पर्यटन	8	375106.00
2	शिक्षा	11	1401962.00
3	युवा कल्याण	9	173741.00
4	स्वास्थ्य विभाग	17	1838804.00
5	राजस्व विभाग	4	318588.00
6	उद्यान विभाग	3	501430.00
7	पशुपालन विभाग	6	1159416.00
8	जिलाधिकारी (दैवी आपदा के कार्य)	9	1025410.00
9	आयुर्वेद एवं यूनानी	2	224002.00
10	संस्कृति विभाग	8	1216151.00
11	समाज कल्याण विभाग	1	6670.00
12	होम्योपैथिक चिकित्सा	1	83927.00
13	विधायक निधि	4	40095.00
14	जिला योजना	2	30895.00
15	कृषि विभाग	2	419256.00
16	सहकारिता	4	196943.00
		कुल योग	**9012396.00**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण ने अपने उत्तर में बताया कि विभाग द्वारा निर्माण कार्यों पर उपलब्ध धनराषि खण्ड स्तर पर रखे जाने का प्राविधान है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः पूर्ण निक्षेप कार्यों की अवषेष धनराशि यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को वापस कर देना चाहिए था परंतु निर्माण खण्ड द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः पूर्ण निक्षेप कार्यों की अवशेष धनराशि ` 90.12 लाख ग्राहक विभाग को वापस नहीं करने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : पूर्ण हो चुके कार्यों को समय पर हस्तान्तरण न किए जाने के कारण उसके रख–रखाव/अनुरक्षण पर ` 18.72 लाख का अनियमित व्यय।

ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निर्मित ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुकी हों, की शीघ्र लेखाबन्दी कर ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए तथा अवषेष धनराषि के समर्पण की कार्यवाही यथाषीघ्र करना चाहिए। ग्राहक विभाग द्वारा ही पूर्ण हो चुके कार्यों के रख–रखाव/अनुरक्षण पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।

अधिषासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण के पूर्ण हो चुके कार्यों से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विगत छः वर्षों से भी अधिक समय से पूर्ण हो चुके **13** कार्यों के रख–रखाव/अनुरक्षण पर ` **18.72 लाख** की धनराषि का व्यय खण्ड द्वारा किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित हैः

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	कार्य पूर्ण होने का माह	रख–रखाव/अनुरक्षण पर किया गया व्यय
1	परिवार कल्याण उपकेन्द्र निरकोट बिनोली।	भिकियासैंण	वर्ष 2012	48000.00
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंण हेतु पहुॅच मार्ग निर्माण।	भिकियासैंण	06/2016	139000.00
3	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन जैनल (भिकियासैंण)।	भिकियासैंण	03/2016	153393.00
4	रा0इ0का0 खरखीना में शौचालय निर्माण।	भिकियासैंण	03/2016	47536.00
5	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन द्वाराहाट में अतिरिक्त कार्य।	द्वाराहाट	07/2016	447000.00
6	परिवार कल्याण उपकेन्द्र उरौली का निर्माण।	द्वाराहाट	06/2011	250000.00
7	रा0हो0चिकित्सालय तड़ागताल में आवा0/अना0 भवन।	चौखुटिया	03/2014	83927.00
8	रा0आयु0चिकित्सालय पीपना में आवा0/अना0 भवन निर्माण।	सल्ट	10/2013	103284.00
9	रा0आयु0चिकित्सालय कालीगांव में आवा0/अना0 भवन निर्माण।	सल्ट	03/2013	120718.00
10	परिवार कल्याण उपकेन्द्र मसमोली भवन का अवशेष कार्य।	स्याल्दे	03/2016	122000.00
11	परिवार कल्याण उपकेन्द्र अजोली का कार्य।	सल्ट	03/2016	128000.00
12	परिवार कल्याण उपकेन्द्र हरड़ा का कार्य।	सल्ट	03/2016	93700.00
13	स्वास्थ्य उपकेन्द्र मछोड़ का कार्य।	सल्ट	03/2016	135800.00
			कुल योग	**1872358.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय अधिषासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण ने उत्तर में बताया कि खण्ड द्वारा पूर्ण कार्यों को हस्तगत कराए जाने हेतु निरंतर

प्रयास किए जा रहे हैं। साथ यह भ बताया कि खण्ड को पूर्ण निर्माण कार्यों के रख–रखाव हेतु पृथक से धनराषि उपलब्ध नहीं होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही उसे ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था। निर्माण खण्ड द्वारा ऐसा नहीं किया गया परिणामतः पूर्ण हो चुके कार्यों के रख–रखाव/अनुरक्षण पर ` 18.72 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अतः पूर्ण हो चुके कार्यों को समय पर हस्तान्तरण न किए जाने के कारण उसके रख–रखाव/अनुरक्षण पर ` 18.72 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 5 : निर्माण कार्यों पर कम रायल्टी कटौती किए जाने के कारण ` 1.78 लाख के राजस्व की हानि।

अधिशासी अभियंता, आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय राजस्व जैसेः आयकर, रायल्टी एवं विक्रय कर को प्रचलित दरों पर ठेकेदारों के देयकों से कटौती/वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर संशोधन किए गए। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनांक 26.02.2016 से ` 194.50 प्रति घनमीटर एवं दिनॉक 19.05.2016 से ` 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 154.00 प्रति घनमीटर कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों में शासन द्वारा संशोधित दरों के आधार पर रायल्टी की कटौती देयकों से नहीं की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने 17 निर्माण/मरम्मत कार्यों की माप पुस्तिकाओं एवं बिल वाउचरों की जांच में पाया कि निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त खनिज पदार्थों जैसेः पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो विभाग/ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गए हैं, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं काटी जा रही थी। परिणामस्वरुप ` 1.78 लाख **(संलग्नक 1)** की रायल्टी की वसूली कम की गई जबकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गए खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संषोधनों के आधार पर ही की जानी चाहिए थी। रायल्टी की कम वसूली किए जाने से शासन को ` 1.78 लाख के राजस्व से वंचित होना पडा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि कार्यालय में संशोधित रायल्टी आदेश संज्ञान में न होने के कारण एवं उच्चाधिकारियों के स्तर से संशोधित दरों की कटौती हेतु कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण संशोधित दरों पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गए खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर ही की जानी चाहिए थी। परिणामतः निर्माण

कार्यों पर रायल्टी की कम वसूली किए जाने से शासन को ` 1.78 लाख के राजस्व से बंचित होना पडा।

अतः निर्माण कार्यों पर कम रायल्टी कटौती किए जाने के कारण ` 1.78 लाख के राजस्व की हानि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

खण्ड के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर कम रायल्टी कटौती का विवरण

संलग्नक–1

क्र. सं.	कार्य का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार			निर्धारित दर	अन्तर	कम रायल्टी वसूली गई धनराशि	माप पुस्तिका एवं पृष्ठ स.
		माप की तिथि	प्रयुक्त पत्थर/ बालू	काटी गई रायल्टी दर				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	परिवार कल्याण उपकेन्द्र, मसमोली का अवषेष कार्य	10.05.2016	16.98	90.00	194.50	104.50	1774	40 पृ0 8,9
2.	रा. इ. का. कनमुंगा में शौचालय निर्माण	04.04.2016	15.91	90.00	194.50	104.50	1663	10 पृष्ठ 66
3.	रा. इ. का. भरसोली में शौचालय निर्माण	20.04.2016	17.01	90.00	194.50	104.50	1777	21 पृष्ठ 98
4.	रा. इ. का. चिन्तोली में शौचालय निर्माण	18.03.2016	17.41	90.00	194.50	104.50	1819	21 पृष्ठ 112
5.	रा. इ. का. जीनापानी में शौचालय निर्माण	21.07.2016	346.09	90.00	154.00	64.00	22150	32 पृष्ठ 85
6.	ग्राम धारण में खेल मैदान का विस्तारीकरण	04.06.2016	192.25	90.00	154.00	64.00	12304	32 पृष्ठ 56
7.	फलई गनई में हाईटेक शौचालय का निर्माण	19.04.2016	93.36	90.00	194.50	104.50	9756	34 पृष्ठ 114
8.	रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग के पंचायत घर	20.04.2016	636.58	90.00	194.50	104.50	66523	37 पृष्ठ 15
9.	खेल मैदान निर्माण विरलगांव मल्ला	09.03.2016	39.42	90.00	194.50	104.50	4119	37 पृष्ठ 9
10.	रा. इ. का. हलरू में बाउन्ड्री वाल का निर्माण	30.05.2016	380.16	90.00	154.00	64	24330	36 पृष्ठ 117
11.	पशु सेवा केन्द्र सुरईखेत का सुढ़ढ़ीकरण	31.03.2016	40.05	90.00	194.50	104.50	4185	36 पृष्ठ 110
12.	जौरासी में व्यू पोईंट का निर्माण	09.02.2016	20.20	90.00	194.50	104.50	2111	10 पृष्ठ 58
13.	पायका खेल मैदान निर्माण फनियां	12.02.2016	53.29	90.00	194.50	104.50	5569	10 पृष्ठ 63
14.	ग्राम घुघती में खेल मैदान का निर्माण	19.02.2016	104.39	90.00	194.50	104.50	10909	10 पृष्ठ 64
15.	साधन सहकारी समिति चिलियानौला का निर्माण	21.05.2016	66.31	90.00	154	64	4244	26 पृष्ठ 170
16.	ग्राम पंचायत सिलंगी में फील्ड का निर्माण	01.06.2016	36.98	90.00	154.00	64.00	2367	27 पृष्ठ 121

17.	ग्राम पंचायत देटोली में खेल मैदान निर्माण	07.06.2016	35.83	90.00	154.00	64.00	2293	27 पृष्ठ 125
						योग	177893	

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

वर्ष	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया	प्रतिउत्तर के अभाव में यथावत	

<u>भाग-IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

खण्ड द्वारा प्रत्येक माह बनाए जा रहे मासिक प्रगति रिपोर्ट को बनाया जा रहा था। खण्ड में समस्त अभिलेखों का रख–रखाव सही ढंग से किया गया था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री बी.एस. नेगी	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैंण को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)